

आक्रमल जजदर कुमला

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

दावा

सं. - 2/2022

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी है

7.07.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वादपत्र में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिलीप सिंह)

उपस्थित अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या
02 / 2023

जीसीएमएस
2023 / 04

दायर दिनांक
02.01.2023

निर्णय दिनांक
17.07.2023

उनवान प्रकरण

1. झाबरमल आयु 35 साल
2. धूडाराम आयु 33 साल
3. भीवाराम आयु 37 साल
4. सुवालाल आयु 50 साल
पुत्रगण सुरजाराम पौत्र हीराराम
5. बहादुरसिंह पुत्र सांवलराम पौत्र हीराराम आयु 40 साल
6. छीतरमल आयु 45 साल
7. झाबरमल आयु 43 साल
8. बजरंगलाल आयु 41 साल
9. बीरबल आयु 39 साल
पुत्रगण नाथूराम पौत्र हीराराम
10. झिणकारी देवी पत्नी नाथूराम पुत्रवधू हीराराम आयु 65 साल

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी ढबासावाली तन ग्राम गढभोपजी सिमारला


तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— वादीगण—

बनाम

1. कमला आयु 38 साल

2. ग्यारसी आयु 32 साल


12/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर



3. छोटी आयु 36 साल
4. प्रभाती आयु 45 साल
5. संतोष देवी आयु 34 साल
पुत्रीयां सुरजाराम
6. जीवा देवी पत्नी सुरजाराम आयु 65 साल
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी ढबासावाली तन ग्राम गढभोपजी सिमारला तहसील
श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
7. गोपालराम आयु 55 साल
8. गोकुलचन्द आयु 53 साल
9. जयसिंह आयु 51 साल
10. झाबरमल आयु 48 साल
पुत्रगण माना देवी पुत्री हीराराम
11. शिमली देवी आयु 60 साल पुत्री माना देवी पुत्र हीराराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गढभोपजी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
12. सोहन आयु 55 साल
13. झूथाराम आयु 45 साल
पुत्रगण माली देवी पुत्री हीराराम
14. झूमा देवी आयु 50 साल
15. संतोष देवी आयु 48 साल
16. राजू देवी आयु 46 साल
पुत्रीयां माली देवी पुत्री हीराराम
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी टोडावाली तन ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर
जिला सीकर राज0
17. श्योकरण आयु 35 साल
18. धोलूराम आयु 33 साल
पुत्रगण चिनकू देवी पुत्री हीराराम



Patil
12/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

19. संतोष देवी आयु 30 साल पुत्री यिनकू देवी पुत्री हीराराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम केरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
20. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
21. भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज0
22. मैनेजर, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थोई।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :-

- श्री फूलचन्द समोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री झाबर सिंह भारणी, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10, 12, 13 व 17, 18
अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 20, 21 की ओर से।

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955




—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 52, 53 कुल किता-2 कुल रकबा 3.8700 हैक्टर राजस्व ग्राम शिमारला पटवार हल्का कोटडी भू0 अभि0 नि0 जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 284 लगायत 288, 289, 301, 302 कुल किता-8 कुल रकबा 3.7400 हैक्टर राजस्व ग्राम शिमारला पटवार हल्का कोटडी भू0 अभि0 नि0 जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1186 लगायत 1190, 1208 लगायत 1216, 1219, 1220, 1220/2206, 1221, 1222 कुल किता-19

[Handwritten Signature]

12/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कुल रकबा 5.6000 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1177, 761, 771 कुल किता -3
 कुल रकबा 1.5200 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1170, 760, 764, 765, 772 कुल
 किता-5 कुल रकबा 3.3600 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1175, 1176, 1197, 1198
 कुल किता-4 कुल रकबा 3.0500 हैक्टर राजस्व ग्राम गढभोपजी पटवार हल्का लोहरवाडा
 भू0 अभि0नि0 कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। पक्षकारान
 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 आपस में एक ही परिवार खानदान से हैं। जो
 सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार उक्त वर्णित कृषि
 भूमियां पैत्रिक हैं एवं सजरा खानदान के अनुसार वादपत्र में वर्णित राजस्व ग्राम शिमारला
 पटवार हल्का कोटडी भू0अभि0नि0 जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 52, 53 कुल किता-2 कुल रकबा 3.8700 हैक्टर
 में वादीगण संख्या-1 ता 4 के पिता मृतक सुरजमल पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज हिस्सा
 1/6 की भूमि पर वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काशत चले
 आ रहे हैं। इसलिए उक्त हिस्सा की खातेदारी वादीगण संख्या-1 ता 4 अपने नाम दर्ज
 करवाने के अधिकारी है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 284 लगायत 288, 289, 301, 302
 कुल किता-8 कुल रकबा 3.7400 हैक्टर में वादीगण संख्या-1 ता 4 के पिता मृतक
 सुरजमल पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज हिस्सा 1/5 की भूमि पर वादीगण संख्या-1 ता
 4 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काशत चले आ रहे हैं। इसलिए उक्त हिस्सा की
 खातेदार वादीगण संख्या-1 ता 4 अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं मृतका
 चिनकू देवी पुत्री हीरालाल व मृतका माली देवी पुत्री हीरालाल के नाम दर्ज हिस्सा 2/5
 की भूमि पर वादीगण संख्या-1 ता 4 व 5 एवं 6 ता 10 हिस्सानुसार हिस्सा 2/15 पर
 वादी संख्या-1 ता 4 एवं हिस्सा 2/15 पर वादी संख्या-5 एवं हिस्सा 2/15 पर वादी
 संख्या 6 ता 10 काबिज काशत चले आ रहे हैं। इसलिए उक्तानुसार वादी संख्या-1 ता
 4 एवं 5 एवं 6 ता 10 अपने नाम भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा
 उक्त भूमियों की जमाबंदी में पक्षकारान का निवास स्थान ढाणी ढाबावाली गलत अंकित
 कर रखा है। जिसको ढाणी ढाबावाली के स्थान पर ढाणी ढाबासावाली दुरुस्त किया
 जाना न्यायोचित व आवश्यक है एवं इसी प्रकार राजस्व ग्राम गढभोपजी पटवार हल्का



Deliver

12/02/23

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तोहरवाडा भू0अभि0नि0 कावट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1186 लगायत 1190, 1208 लगायत 1216, 1219, 1220, 1220/2206, 1221, 1222 कुल किता-19 कुल रकबा 5.6000 हैक्टर में प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 की भूमि पर वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काशत चले आ रहे हैं। इसलिए उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1177, 761, 771 कुल किता-3 कुल रकबा 1.5200 हैक्टर में मृतका लाडा पत्नी स्व0 हीरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 की भूमि पर वादीगण हिस्सानुसार 1/24 हिस्सा पर वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर एवं 1/24 हिस्सा पर वादी संख्या-5 एवं 1/24 हिस्सा वादीगण संख्या-6 ता 10 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काशत चले आ रहे हैं। इसलिए उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 की भूमि पर वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काशत चले आ रहे हैं। इसलिए उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1170, 760, 764, 765, 772 कुल किता-5 कुल रकबा 3.3600 हैक्टर में मृतका लाडा पत्नी स्व0 हीरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 की भूमि पर वादीगण हिस्सानुसार 1/24 हिस्सा पर वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर एवं 1/24 हिस्सा पर वादी संख्या-5 एवं 1/24 हिस्सा वादीगण संख्या-6 ता 10 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काशत चले आ रहे हैं। इसलिए उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 की भूमि पर वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काशत चले आ रहे हैं। इसलिए उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1175, 1176, 1197, 1198 कुल किता-4 कुल रकबा 3.0500 हैक्टर में मृतका लाडा पत्नी स्व0 हीरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 की भूमि पर वादीगण हिस्सानुसार 1/24 हिस्सा पर वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर एवं 1/24 हिस्सा पर वादी संख्या-5 एवं 1/24 हिस्सा वादीगण संख्या-6 ता 10 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काशत चले आ रहे हैं। इसलिए उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी



Passer
12/10/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपर

हे एवं प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 की भूमि पर वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नही है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने एवं दुरुस्त करवाने हेतु कहा तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 25.12.2022 को इन्कार हो गये। इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाए जाने का निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम शिमारला पटवार हल्का कोटडी भू0अभि0नि0 जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 52, 53 कुल किता-2 कुल रकबा 3.8700 हैक्टर में वादीगण संख्या-1 ता 4 के पिता मृतक सुरजमल पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 की भूमि का वादीगण संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतक सुरजमल पुत्र हीरालाल का नाम हजफ किया जावे एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 284 लगायत 288, 289, 301, 302 कुल किता-8 कुल रकबा 3.7400 हैक्टर में वादीगण संख्या-1 ता 4 के पिता मृतक सुरजमल पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज हिस्सा 1/5 की भूमि का वादीगण संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतक सुरजमल पुत्र हीरालाल का नाम हजफ किया जावे एवं मृतका चिनकू देवी पुत्री हीरालाल व मृतका माली देवी पुत्री हीरालाल के नाम दर्ज हिस्सा 2/5 के स्थान पर हिस्सा 2/15 का वादी संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर एवं हिस्सा 2/15 का वादी संख्या-5 को एवं हिस्सा 2/15 का वादी संख्या 6 ता 10 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतका चिनकू देवी पुत्री हीरालाल व मृतका माली देवी पुत्री हीरालाल का नाम हजफ किया जावे एवं उक्त भूमियों की जमाबंदी में पक्षकारान का निवास स्थान ढाणी ढाबावाली के स्थान पर ढाणी ढाबासावाली दुरुस्त



12/01/23
दिलीप सिंह
उपस्थान अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किया जावे एवं इसी प्रकार राजस्व ग्राम मदनगोपजी पटवार हल्का लोहरवाडा मु०अभि०नि० कावट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1186 लगायत 1190, 1208 लगायत 1216, 1219, 1220, 1220/2206, 1221, 1222 कुल किता-19 कुल रकबा 5.6000 हैक्टर में प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 का वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादीया संख्या-1 ता 6 का नाम हजफ किया जावे एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1177, 761, 771 कुल किता-3 कुल रकबा 1.5200 हैक्टर में मृतका लाडा पत्नी स्व० हीरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/24 हिस्सा का वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर एवं 1/24 हिस्सा का वादी संख्या-5 को एवं 1/24 हिस्सा वादीगण संख्या-6 ता 10 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतका लाडा पत्नी स्व० हीरा का नाम हजफ किया जावे एवं इसी प्रकार प्रतिवादिया संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 का वादीगण संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 का नाम हजफ किया जावे एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1170, 760, 764, 765, 772 कुल किता -5 कुल रकबा 3.3600 हैक्टर में मृतका लाडा पत्नी स्व० हीरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/24 हिस्सा का वादीगण संख्या -1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर एवं 1/24 हिस्सा का वादी संख्या-5 को एवं 1/24 हिस्सा का वादीगण संख्या- 6 ता 10 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतका लाडा देवी पत्नि स्व० हीरा का नाम हजफ किया जावे एवं इसी प्रकार प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 का वादीगण संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 का नाम हजफ किया जावे एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1175, 1176, 1197, 1198 कुल किता -4 कुल रकबा 3.0500 हैक्टर में मृतका लाडा पत्नि स्व० हीरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/24 हिस्सा का वादीगण संख्या -1 ता 4



Paloo
12/02/23
दिलीप सिंह
अपराध अधिकारी, श्रीमाधोपर

बहिस्सा बराबर-बराबर एवं 1/24 हिस्सा का वादी संख्या-5 एवं 1/24 हिस्सा का वादीगण संख्या-6 ता 10 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतका लाडा पत्नि स्व0 हीरा का नाम हजफ किया जावे एवं इसी प्रकार प्रतिवादिया संख्या -1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 का वादीगण संख्या -1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 का नाम हजफ किया जावे एवं उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरुस्त किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने कि वे वादीगण की भूमियों के कब्जा काश्त में मजाहमत नही करने बाबत वाद वास्ते घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।


इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6, 11, 14 लगायत 16 व 19 की ओर से श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 7, 8, 12, 13 व 17 की ओर से दिनांक 02.02.2023 को एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 18 की ओर से दिनांक 21.02.2023 को एवं प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से दिनांक 10.04.2023 को वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 22 के द्वारा बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी संख्या 1 झाबरमल का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादी गवाहान् में सुभाषचन्द पुत्र चन्दगी राम का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6, 11, 14 लगायत 16 व 19 के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबालिया जवाब दावा पेश कर दिये जाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 10, 12, 13, 17 व 18 के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश



Signature
17/02/23
दिलाप सिंह
अध्यक्ष अधिकारी, श्रीमधोपर

कर तरदीक करवा लिये जाने तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 22 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाकर वादपत्र को डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की अन्तिम डिक्री पर बहुपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकूलाय उमय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर समीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के मूत्तक पिता सुरजमल पुत्र हीरालाल के नाम एवं मूत्तका चिनकू देवी पुत्री हीरालाल व मूत्तका माली देवी पुत्री हीरालाल व मूत्तका लाडा देवी पत्नि स्व० हीरा के नाम एवं अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पत्रावली पर उपलब्ध सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार व खानदान से होकर एक ही कुटुम्ब के सदस्य होना प्रकट होता है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियों वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमियाँ होना प्रतित होती है। जिसमें प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा व राजीनामा पेश कर तरदीक करवा लिये जाने से वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त भूमि पक्षकारान् की पैत्रिक भूमि होना सिद्ध होता है। उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण का पूर्वजों के समय से संयुक्त रूप से कब्जे काश्त होना तथा उक्त भूमि का आदिनांक तक वैधानिक बंटवारा नहीं होना भी प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार कौटुम्ब से होना पत्रावली पर उपलब्ध सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। उक्त भूमि के पैत्रिक भूमि होने तथा वादी व प्रतिवादी के एक ही परिवार से होने के आधार पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 के अन्तर्गत धारा 88 के तहत अपने खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने



12/03/23
दिलीप सिंह
उपस्यण्ड अधिकारी, बीपाधोपर

के अधिकारी होना प्रकट होता है। जिसके अनुसार उनके वादग्रस्त भूमि की खातेदारी
वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बराबर-बराबर की जाकर उरी अनुसार उनके मध्य
वस्तुतः वादग्रस्त प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये जाने न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा
दावा के आधार पर स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित
समझते हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—



अतः उपयुक्त विश्लेषण से वादीगण का दावा बाबत उदघोषणा,
दस्तावेजों के रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती
है कि राजस्व ग्राम शिमारला पटवार हल्का कोटडी भूअभि०/१० जयपुरनगर तहसील
श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज० में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 52, 53 कुल कित्ता-2
कुल रकबा 3.8700 हैक्टर में वादीगण संख्या-1 ता 4 के पिता मृतक सुरजमल पुत्र
हीरालाल के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 की भूमि का वादीगण संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा
बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की खातेदारी
से मृतक सुरजमल पुत्र हीरालाल का नाम हजफ किया जाता है एवं कृषि भूमि खसरा
नम्बर 284 लगायत 288, 289, 301, 302 कुल कित्ता-8 कुल रकबा 3.7400 हैक्टर में
वादीगण संख्या-1 ता 4 के पिता मृतक सुरजमल पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज हिस्सा
1/5 की भूमि का वादीगण संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतक सुरजमल
पुत्र हीरालाल का नाम हजफ किया जाता है एवं मृतक विन्दू देवी पुत्री हीरालाल व
मृतक माली देवी पुत्री हीरालाल के नाम दर्ज हिस्सा 2/5 के स्थान पर हिस्सा 2/15
का वादी संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर एवं हिस्सा 2/15 का वादी
संख्या-5 को एवं हिस्सा 2/15 का वादी संख्या 6 ता 10 को बहिस्सा बराबर-बराबर

1.11.2015
जयपुर जिला न्यायालय

खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतका
देवी पुत्री हीरालाल व मृतका माली देवी पुत्री हीरालाल का नाम हजफ किया
जाता है एवं उक्त भूमियों की जमाबंदी में पक्षकारान का निवास स्थान ढाणी ढाबावाली
के स्थान पर ढाणी ढाबासावाली दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा इसी
प्रकार राजस्व ग्राम गढभोपजी पटवार हल्का लोहरवाडा भूअभिनि कायट तहसील
खण्डेला जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1186 लगायत 1190,
1208 लगायत 1216, 1219, 1220, 1220/2206, 1221, 1222 कुल किता-19 कुल
रकबा 5.6000 हैक्टर में प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 का
वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता
है तथा उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादीया संख्या-1 ता 6 का नाम हजफ किया
जाता है एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1177, 761, 771 कुल किता-3 कुल
रकबा 1.5200 हैक्टर में मृतका लाडा पत्नी स्व0 हीरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 के
स्थान पर 1/24 हिस्सा का वादीगण संख्या-1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर एवं 1/24
हिस्सा का वादी संख्या-5 को एवं 1/24 हिस्सा वादीगण संख्या-6 ता 10 को बहिस्सा
बराबर-बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की खातेदारी
से मृतका लाडा पत्नी स्व0 हीरा का नाम हजफ किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादिया
संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 का वादीगण संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा
बराबर-बराबर खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से
प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 का नाम हजफ किया जाता है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा
नम्बर 1170, 760, 764, 765, 772 कुल किता -5 कुल रकबा 3.3600 हैक्टर में मृतका
लाडा पत्नी स्व0 हीरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/24 हिस्सा का वादीगण
संख्या -1 ता 4 बहिस्सा बराबर-बराबर एवं 1/24 हिस्सा का वादी संख्या-5 को एवं
1/24 हिस्सा का वादीगण संख्या- 6 ता 10 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार
काशतकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतका लाडा देवी पत्नी
स्व0 हीरा का नाम हजफ किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 के
नाम दर्ज हिस्सा 3/40 का वादीगण संख्या-1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार



Signature
12/10/20

दिलीप सिंह
अपराध अधिकारी, श्रीवाघोपर

काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादिया संख्या-1 ता 6 का नाम हजफ किया जाता है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसम नम्बर 1175, 1176, 1197, 1198 कुल किता -4 कुल रकबा 30500 हेक्टर में मृतका लाडा पतिन रवो हीरा के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/24 हिस्सा का वादीगण संख्या -1 ता 6 को बहिस्सा बराबर-बराबर एवं 1/24 हिस्सा का वादी संख्या-5 को एवं 1/24 हिस्सा का वादीगण संख्या-6 ता 10 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी से मृतका लाडा पतिन रवो हीरा का नाम हजफ किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादिया संख्या -1 ता 6 के नाम दर्ज हिस्सा 3/40 का वादीगण संख्या -1 ता 4 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की भूमियों के कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करें एवं ना ही दीगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर/खण्डेला को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जाँच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरुस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्वा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद

तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(Signature)
17/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर

खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Signature)
17/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)